प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु उपकरण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/762, दिनॉक 21.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में उपकरणों हेतु रू0 8,70,09,732.00 पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष के लेखाशीर्षक-4210-03-105-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु 26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कुल धनराशि **रू0 3,75,09,732.00 (रू0 तीन करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार सात सौ बत्तीस मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार एंव संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0सं0	प्रयोजन	वांछित धनराशि
1	शासनादेश संख्या-125/2022/I/241785/2022-71-1002(002)/23/2022, दिनांक 30.11.2022 द्वारा स्वीकृत उपकरण हेतु।	2,25,00,000.00
2	गत वित्तीय वर्ष में क्रय किये गये उपकरण, जिनका भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जाना है।	1,50,09,732.00
	कुल योग	3,75,09,732.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,75,09,732 (रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार सात सौ बत्तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031053900 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 23-03-2023 15:20:33
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या/तद्यदिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. संयुक्त सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/292351/2023

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-20222-23-00-71-1001-099-483-2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में उपकरणों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	42100310525 00 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना)	24 (वृहत निर्माण कार्य)	23,19,00,000 रूपये तेईस करोड़ उन्नीस लाख मात्र	23,19,00,000 रूपये तेईस करोड़ उन्नीस लाख मात्र	3,75,09,732 रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार सात सौ बत्तीस मात्र		19,43,90,268	2022-23

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					संक्रमण की धनराशि		
031	4210031052500 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर)	26-(मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र)	5,00,00,000 रूपये पॉच करोड़ मात्र	3,75,09,732 रूपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार सात सौ बत्तीस मात्र		8,75,09,732	2022-23

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूँजीलेखा पक्ष में 25- पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु मानक मद 24- वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 3,75,09,732 की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य , मेडिकल कालेज, कानपुर ने अपने पत्र दिनांक- 17.02.2023 के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिआवश्यक उपकरणों के क्रय तथा लम्बित भुगतान हेतु रू0 3,75,09,732 का पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-566 -2022-23, दिनांक 21 मार्च, 2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

(पवित्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 23-03-2023 15:21:22
Reason: Approved
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।